प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय, कर्नाटक, बेंगलूरु. OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II), KARNATAKA, BENGALURU.

छ्ट्टी / छ्ट्टी विस्तार हेत् आवेदन पत्र/ APPLICATION FOR LEAVE / EXTENSION OF LEAVE

	3 3 3	
01	आवेदक का नाम/Name of the applicant	
02	पद/ Post held	
03	विभाग,कार्यालय व अनुभाग Department, Office & Section	
04	मूल वेतन/Basic pay	
05	वर्तमान पद पर आहरित एच आर ए, वाहन भता व अन्य प्रतिपूरक भता HRA, conveyance allowance or other compensatory allowance drawn in the present post	
06	छुट्टी का प्रकार तथा अवधि एवं जिस दिनांक से आवश्यक हो Nature and period of leave applied for and date from which required	
07	रविवार व अवकाश,यदि छुट्टी के प्रारंभ/ अंत में प्रस्तावित हो Sunday & holiday, if any proposed to be prefixed / suffixed to leave	
80	आवेदित छुट्टी के लिए कारण Ground on which leave is applied for	
09	पिछली छुट्टी से वापसी की तिथि तथा छुट्टी का प्रकार/Date of return from last leave and nature and period of that leave	
10	आगामी छुट्टी के दौरान मैं ब्लाक अवधिके लिए एल.टी.सी. लाभ प्रस्तावित करता/ नहीं करता हूं/ I propose / do not propose to avail myself LTC for the block periodduring the ensuing leave	
11	छुट्टी के दौरान पता Address during leave period	

12. नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणियाँ और/या अन्शंसाएं

Orders of the authority competent to grant leave

Remarks and / or recommendations of the Controlling Officer

हस्ताक्षर/Signature पदनाम/Designation

छुट्टी की स्वीकार्यता के सन्दर्भ में प्रमाण पत्र

CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE

13.प्रमाणित	किया	जाता है	कि	. दिनों की	Γ	छट	्टी दिनांक	से
						_	मके	
स्वीकार्य	है।			J				J
Certified that under Rule					ys from	to .		is admissible
							हस्ताक्ष	₹/Signature
							पदनाम	/Designation
दिनांक/Dated:								
14.छ्ट्टी देन	ने के लि	ये सक्षम	प्राधिकारी	का आदेश				

हस्ताक्षर/Signature

पदनाम/Designation

दिनांक/Date:

नोट: यदि आवेदक कोई प्रतिपूरक भता आहरित कर रहा है तो छुट्टी की समाप्ति पर यह भी आदेश में निर्दिष्ट होना चाहिये कि सरकारी सेवक के उसी पद पर या किसी और समान भत्ते वाले पद पर लौटने की संभावना है।

Note: If the applicant is drawing any compensatory allowance, it should also be indicated in the orders on the expiry of leave, the Government servant is likely to return to the same post or to another post carrying a similar allowance.